तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/5840/2005/बून्दी मोहनलाल बनाम महावीर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-10-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्रीमती पूनम माथुर, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत तहसीलदार, के0 पाटन द्वारा दिनांक 09-11-2005 को पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी पक्ष को सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही नॉन-रीजण्ड व नॉन-स्पीकिंग आदेश से बिना कोई कारण रिकार्ड पर अंकित किए प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रकिया संहिता को स्वीकार किया है जो कि कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं रखता है। आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत केवल उसी व्यक्ति को पक्षकार संयोजित किया जा सकता है, जो प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार हों। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी पक्ष के कब्जे काश्त में है और सोसर बाई का इस भूमि से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। अतः उसे पक्षकार संयोजित किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तात्विक रुप से अनियमितता करते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये उक्त आदेश को निरस्त किया जाये। न्याय दृष्टान्त आर0एल0डब्ल्यू0 2011(1) आर0जे0 164, 2011(1) आर0आर0टी0 पेज 164 को उद्धरित किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/5840/2005/बून्दी मोहनलाल बनाम महावीर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने, अधिवक्ता प्रार्थी की बहस के विरोध में कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी अतिचारी है और दावे में भूमि वादी के पिता द्वारा श्रीमती सोसर बाई को बेचान करना अंकित किया है। अतः प्रकरण में अनावश्यक जटिलताओं से बचने एवं वाद बाहुल्यता की स्थिति न हो, इसे देखते हुये सोसर बाई को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल नहीं होने से, निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी–अप्रार्थी द्वारा धारा 183–बी के वादपत्र में श्रीमती सोसर बाई को पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादी के पिता द्वारा भूमि श्रीमती सोसर बाई के बेचान करना अंकित किया है, अतः सोसर बाई आवश्यक पक्षकार है जब कि प्रतिवादी की आपत्ति रही है कि प्रतिवादी मोहनलापल की पत्नी सोसर बाई को बेचान नहीं किया गया है और प्रतिवादी मोहन को अतिक्रमी बताया है। अतः प्रश्नगत भूमि से सोसर बाई का कोई सम्बन्ध नहीं होने से वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वकील वादी की इकतरफा बहस सुनते हुये, बेहद संक्षिप्ति आदेश में बिना कोई कारण अंकित किए प्रार्थना पत्र अदेश 1 नियम 10, सी0पी0सी0 को स्वीकार किया है। आदेश 1 नियम 10 के आवेदन को विनिश्चय करने हेतु न्यायालय को समाधान करना होता है कि वाद में अन्तर्विलित सभी बिन्दुओं के पूर्ण एवं प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं। इसके लिए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/5840/2005/बून्दी मोहनलाल बनाम महावीर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय को सकारण आदेश पारित करना चाहिए। न्याय दृष्टान्त आर0एल0डब्ल्यू0 2011(1) आर0जे0 164, 2011(1) आर0आर0टी0 पेज 164 इस बिन्दु पर इसी आशय का मत व्यक्त करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि प्रार्थी का पक्षकार संयोजित करने का आवेदन स्वीकार किया है तो आदेश सकारण होना चाहिए था, जिसका कि निर्णय में सर्वथा अभाव रहा है। इस प्रकार का नॉन–रीजण्ड व नॉन–स्पीकिंग आदेश समर्थन योग्य नहीं रहता है। फलतः निगरानी सारवान प्रतीत होने से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, के0 पाटन द्वारा दिनांक 09–11–2005 को पारित आदेश को निरस्त करते हुये उन्हें निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में निहित सभी अतः पक्षकारों को विधिवत सुनते हुए, इस निर्णय से 30 दिवस की अवधि में सकारण निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	